कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

आदेश

क्रमांक / स्था. / 2023 / 111 दिनांक :– 10/3/23

विधि एवं विधिक कार्य विभाग आदेश क्रमांक प.2(03) / न्याय / 2022 दिनांक 25.07.2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक III / (1)बी / बजट / 2022–23 / 80 / 2206 दिनांकित 08–08–2022 द्वारा अजमेर न्यायक्षेत्र मे अधीनस्थ नवसृजित पायलट स्टडी विशेष न्यायालय (एन.आई.एक्ट प्रकरण) का सृजन किया गया है वर्तमान में उक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम के नियम 03(बी) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या –1, अजमेर को आगामी आदेश तक नवसृजित न्यायालय पायलट स्टडी विशिष्ठ न्यायिक मजि (एन.आई.एक्ट. प्रकरण), अजमेर के संबंध में सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ लेखा / स्टोर संबंधित समस्त कार्यों हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करता हूँ। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, अजमेर वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कर्तव्य एवं दायित्व सामान्यतः सरकार के वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न उपबन्धों में निर्धारित किये गये हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 10-3-23

क्रमांक :– 8411 – 8417 दिनांक :– 10/3/23

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या –1, अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा / लेखाशाखा जिला न्यायालय, अजमेर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, अजमेर
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर
5. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, अजमेर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 10-3-23